



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-26102026-277436
CG-UP-E-26102026-277436

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5566]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2026/कार्तिक 4, 1948

No. 5566]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2026/KARTIKA 4, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (गतिशक्ति विभाग)]

अधिसूचना

झाँसी, 17 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5783(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), IVA यथासंशोधित 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले के वृत्त डबरा, तहसील डबरा, ग्राम/मौजा बुजुर्ग, रामगढ़, डबरा में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् “झाँसी मंडल : झाँसी-ग्वालियर रेल सेक्शन के समपार संख्या 394, कि.मी. 1182/1-3 (कोटरा-डबरा स्टेशन के बीच) के एवज में रेलवे उपरिगामी सेतु के निर्माण के संबंध में” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग डबरा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधिव्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य व्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात् “झाँसी मंडल: झाँसी-ग्वालियर रेल सेक्शन के समपार संख्या 394, कि.मी. 1182/1-3 (कोटरा-डबरा स्टेशन के बीच) के एवज में रेलवे उपरिगामी सेतु के निर्माण के संबंध में” के लिए वृत्त डबरा, तहसील डबरा, मौजा बुजुर्ग, रामगढ़, डबरा, जिला ग्वालियर में आने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण:-

क्र.सं.	तहसील	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डबरा	डबरा	कृषि / आवासीय	1862	0.0115
2			कृषि / आवासीय	1860	0.0380
3			कृषि / आवासीय	1861	0.3666
4			कृषि / आवासीय	1851	0.0344
		योग			0.4505
5		रामगढ़	कृषि / आवासीय	741	0.0366
6			शासकीय	729	0.0883
7			कृषि / आवासीय	740	0.1774
8			कृषि / आवासीय	731	0.0187
9			कृषि / आवासीय	736	0.1825
10			कृषि / आवासीय	734	0.0145
11			कृषि / आवासीय	735/2	0.0067
12			कृषि / आवासीय	719	0.0016
		योग			0.5263
13		बुजुर्ग	कृषि / आवासीय / शासकीय	457	0.0194
14			कृषि / आवासीय/ व्यावसायिक	460	0.1059
15			कृषि / आवासीय /व्यावसायिक / नहर	462	0.1316
16			कृषि / आवासीय /व्यावसायिक / नहर	463	0.0224
17			कृषि / आवासीय/ व्यावसायिक	466	0.0793

18			कृषि / आवासीय/ व्यावसायिक	464	0.0191
19			कृषि / आवासीय/ व्यावसायिक	454	0.1468
20			कृषि / आवासीय/ व्यावसायिक	453	0.0165
21			कृषि / आवासीय/ व्यावसायिक	451	0.0002
योग					0.5412
कुल क्षेत्रफल					1.518

[ई. फा. सं. एन.सी.आर.-जे.एच.एस.ओ.जी.एस.यू/151/2026-O/oसी.पी.एम/जी.एस.यू/जे.एच.एस./एन.सी.आर.

(कम्प्यूटर सं. 203387)]

एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Gati Shakti Department)]

NOTIFICATION

Jhansi, the 17th October, 2026

S.O. 5783(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) IVA amendment 2008 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, “**Jhansi division: Construction of ROB in lieu of Level Crossing No. 394 at km 1182/1-3 in between KTRA-DBA station in JHS-GWL section**” in the district of Gwalior, circle Dabra, Tehsil Dabra, Village/Mauja Bujurg, Ramgarh, Dabra in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Anuvibhageeya Adhikari (Revenue), Anubhag - Dabra, Gwalior, Madhya Pradesh** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely “**Jhansi division: Construction of ROB in lieu of Level Crossing No. 394 at km 1182/1-3 in between KTRA-DBA station in VGLJ-GWL section**” Project under circle Dabra, Tehsil Dabra, Village/Mauja Bujurg, Ramgarh, Dabra of Gwalior district in the state of Madhya Pradesh.

District in the state of Madhya Pradesh.

S.N.	Tehsil	Village Name	Type of Land	Plot No.	Area (Hect.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Dabra	Dabra	Agriculture/Residential	1862	0.0115	
2			Agriculture/Residential	1860	0.0380	
3			Agriculture/Residential	1861	0.3666	
4			Agriculture/Residential	1851	0.0344	
		Sum				0.4505
5		Ramgarh	Agriculture/Residential	741	0.0366	
6			Government	729	0.0883	
7			Agriculture/Residential	740	0.1774	
8			Agriculture/Residential	731	0.0187	
9			Agriculture/Residential	736	0.1825	
10			Agriculture/Residential	734	0.0145	
11			Agriculture/Residential	735/2	0.0067	
12			Agriculture/Residential	719	0.0016	
		Sum				0.5263
13		Bujurg	Agriculture/Residential/ Government	457	0.0194	
14			Agriculture/Residential/ Commercial	460	0.1059	
15			Agriculture/Residential/ Commercial/Canal	462	0.1316	
16			Agriculture/Residential/ Commercial/Canal	463	0.0224	
17			Agriculture/Residential/ Commercial	466	0.0793	
18			Agriculture/Residential/ Commercial	464	0.0191	
19			Agriculture/Residential/ Commercial	454	0.1468	
20			Agriculture/Residential/ Commercial	453	0.0165	
21			Agriculture/Residential/ Commercial	451	0.0002	
		Sum				0.5412
Total Area					1.518	

[(e-file No. NCR-JHS0GSU/151/2026-O/o CPM/GSU/JHS/NCR (Computer No: 203387)]

ANAMUL HAQUE, Chief Administrative Officer (Construction)